

राजस्थान सरकार  
कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

Tele-01478-294141 E-Mail ID [dcfptg123@gmail.com](mailto:dcfptg123@gmail.com) / [dcf.pratpgh.forest@rajasthan.gov.in](mailto:dcf.pratpgh.forest@rajasthan.gov.in)  
क्रमांक:-एफ./तक./उवसं/2021-22/7547 दिनांक :- 6-10-2021

निमित्त,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
RDSA MINING LLP,  
पाटनी सदन, तेली मोहल्ला,  
मदनगंज-किशनगढ़  
जिला-अजमेर (राज.) 305801

विषय :- Diversion of 74,2490 Ha. Forest Land In Favour Of RDSA MINING LLP For  
Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunt,  
District - Pratapgarh, Rajasthan (Proposal no. FP/RJ/MIN/142599/2021)

संदर्भ :- आपका पत्रांक 13 दिनांक 09.09.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से इस कार्यालय में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु online आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसका परीक्षण करने के उपरांत आप द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्यावर्तन प्रकरण में निम्न कमियां हैं-

1. प्राप्त प्रत्यावर्तन प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि को उपलब्ध नहीं कराया गया है।
2. प्राप्त प्रत्यावर्तन प्रकरण में राजस्व मानचित्र, जी.टी. शीट, डिजिटल मानचित्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों पर खनन विभाग के सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करावें।
3. खनन लीज की डेलिनियेट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जावे।
4. समस्त अंडरटेकिंग प्रमाण-पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें।
5. प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि को राजस्व मानचित्र पर जियो रेफरेंस करके खसरा अनुसार चिन्हित कर KML फाईल मय जियो रेफरेंस मानचित्र प्रस्तुत किया जावे।

(सुनील कुमार भावसे)  
उप वन संरक्षक,  
प्रतापगढ़ (राज.) 6/2